कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी (छत्तीसगढ़)

☎ 07722-238371(O) 236137(Fax), E-mail – dfo-dhamtari.cg@gov.in

क्रमांक/मा.चि./ व.सं.अ./31/सी/ 956 धमतरी,दिनांक:11 /05/2023

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक

रायपुर वृत्त रायपुर

विषय :– **धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु** PWD (B&R) Division Dhamtari **द्वारा** Upgradation Renewal and widening work of Megha-Singpur-Dugli- Road i/c culvert and bridge work. Total length 35 Km. within is proposed 23.715 Km. length. Forest land diversion.**हेतु क्षेत्रफल 37.973 हे. पंजीयन बाबत् ।**

पंजीयन क्रमांक FP/CG/ROAD/151953/2022 **दिनांक 04.05.2022**

संदर्भ :–1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/एल. एम–115 –921/1008 दिनांक 04.05.2022

2. आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी का पत्र क्रमांक/1825/शिल्प–23/वन विभाग दिनांक 20.04.2023

⊗⊗⊗

विषयांतर्गत निवेदन है, कि धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य रकबा 37.973 हे. प्रकरण का वरिष्ठ कार्यालय द्वारा ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक/FP/CG/ROAD/151953/2022 दिनांक 04.05.2022 को संदर्भित पत्र के माध्यम से आबंटित किया गया है। उक्त पंजीकृत प्रकरण का आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी के संदर्भित पत्र–2 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वनमंडल कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेकलिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार हैः–

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 07) – आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत 37.973 हे. आरक्षित वन भूमि मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है। साथ ही आवेदक विभाग द्वारा ऑनलॉईन फार्म A पार्ट 1 प्रविष्ट कर प्रस्ताव में हस्ताक्षर कर संलग्न किया गया है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र–I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 08 से 10) – अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ द्वारा प्रकरण का रजिस्ट्रेशन क्रमांक – FP/CG/ROAD/151953/2022 दिनांक 04.05.2022 को आबंटित किया गया है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 11) – कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत 37.973 हे. आरक्षित वन भूमि मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत मांग किया गया है। जिसका विवरण प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 12 से 17) – मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य अंतर्गत धमतरी जिले के 05 ग्रामों का 20.721 हे. राजस्व/निजी भूमि प्रभावित हो रहा है। प्रभावित राजस्व/निजी भूमि का विवरण प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 18से 19) – मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य में प्रस्तावित वन क्षेत्र को सर्वे ऑफ इंडिया के 1:50000 स्केल मानचित्र पर चिन्हांकित कर प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 20 से 21)– मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य में प्रस्तावित वन क्षेत्र को वन प्रबंधन सूचना प्रणाली नवा रायपुर से प्राप्त स्टॉक मानचित्र (स्केल 1:15000) शीट क्रमांक 64/H/13/A3,64/H/14/A1,64/H/14/A2,64/H/14/B2,64/H/14/B3, 64/H/15/B1 एवं वनस्पति मानचित्र (स्केल 1:50000) शीट क्रमांक 64/H/09,64/H/10,64/H/13,64/H/14, 64/H/15 में चिन्हांकित कर प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। स्टॉक मानचित्र (स्केल 1:15000) एवं वनस्पति मानचित्र (स्केल 1:50000) बुकलेट क्रमांक 02 में संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र– 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 22 से 30)– प्रपत्र–4 में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य में धमतरी वनमंडल अंतर्गत 37.973 हे. आरक्षित वनभूमि तथा 20.721 हे. राजस्व/निजी भूमि के लिए परियोजना की प्रशासकीय लागत 7062.11 लाख बतायी गई है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 31)– व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य में धमतरी वनमंडल अंतर्गत 37.973 हे. आरक्षित वनभूमि के लिए प्रोजेक्ट का विस्तृत टीप प्रस्ताव में संलग्न है। जिसके अनुसार मार्ग की कुल लंबाई 35.00 कि.मी. है, जिसमें में 23.715 कि.मी लंबाई वनक्षेत्र से गुजर रहा है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 32) – आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा प्रकरण के वन व्यपवर्तत के विरूद्ध वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग द्वारा मांग की जाने वाली आवश्यक राशि जमा किये जाने का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 33) – आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होने तथा मांग की गई 37.973 हे. वनभूमि न्यूनतम होने का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 34 से 43) – आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 को प्रस्ताव में संलग्न कर परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता न होने का लेख किया गया है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र– अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 44 से 46) – मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु आवेदित क्षेत्र में कुल 2498 वृक्ष प्रभावित हो रहें है। प्रभावित वृक्षों की प्रजातिवार एवं गोलाईवार संख्या प्रस्ताव में संलग्न है। साथ ही प्रकरण में वर्ष 2006–07 में सड़क किनारे दुगली वन परिक्षेत्र के वनकक्ष में किया गया रतनजोत वृक्षारोपण में से 2226 रतनजोत का पौधा भी प्रभावित हो रहा जिसकी जानकारी अतिरिक्त जानकारी के रूप में प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 158 से 160 में संलग्न किया गया है। रतनजोत का पौधा ईमारती एवं जलाऊ हेतु उपयुक्त न होने के कारण इसे प्रकरण में प्रभावित 2498 वृक्षों की गणना में शामिल नहीं किया गया है।

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 47 से 54)– प्रस्तावित मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य परियोजना का कास्ट बेनीफिट अनुपात 1:8.269 है जो कि आवेदक संस्थान

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी तथा वन मंडलाधिकारी, धमतरी वनमंडल धमतरी द्वारा हस्ताक्षरित है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश)/ राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 55 से 56) – प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने बिगडे वनो के सुधार के तहत महासमुंद जिले के महासमुंद वनमंडल अंतर्गत पिथौरा वन परिक्षेत्र के आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 287 रकबा 76.00 हे. का चयन किया गया है। प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि/निजी भूमि प्रस्तावित नहीं है होने के कारण इससे संबंधित अभिलेखों की आवश्यकता नही है। आवेदक संस्थान द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित आरक्षित वनभूमि को टोपोशीट में चिन्हांकित कर प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 56 में संलग्न किया गया है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 57) – प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने बिगडे वनो के सुधार के तहत महासमुंद जिले के महासमुंद वनमंडल अंतर्गत पिथौरा वन परिक्षेत्र के आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 287 रकबा 76.00 हे. का चयन किया गया है। प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि/निजी भूमि प्रस्तावित नहीं है होने के कारण इससे संबंधित अभिलेखों की आवश्यकता नही है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 58 से 98) – मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए धमतरी वनमंडल अंतर्गत प्रस्तावित 37.973 हे. आरक्षित वनभूमि के एवज में दुगुने बिगडे वनो के सुधार के तहत महासमुंद जिले के महासमुंद वनमंडल अंतर्गत पिथौरा वन परिक्षेत्र के आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 287 रकबा 76.00 हे. का चयन किया गया है। उक्त चयनित क्षेत्र हेतु 10 वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना प्रतिवेदन 8,78,787.00/– प्रति हे. की दर से वन परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा द्वारा तैयार किया गया है, जो उप वनमंडलाधिकारी पिथौरा तथा वनमंडलाधिकारी महासमुंद द्वारा हस्ताक्षरित है। 10 वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 99 से 100)– प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु महासमुंद वनमंडल अंतर्गत पिथौरा वन परिक्षेत्र के आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 287 रकबा 76.00 हे. चयनित क्षेत्र का वन परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा, उप वनमंडलाधिकारी पिथौरा तथा वन मंडलाधिकारी, महासमुंद वनमण्डल द्वारा हस्ताक्षरित उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 101) – मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए धमतरी वनमंडल अंतर्गत प्रस्तावित 37.973 हे. आरक्षित वनभूमि में आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा किसी भी प्रकार का गैर–वानिकी कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। अतः प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 102) – मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए धमतरी वनमंडल अंतर्गत प्रस्तावित 37.973 हे. आरक्षित वनभूमि में आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 103) – मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए धमतरी वनमंडल अंतर्गत प्रस्तावित 37.973 हे. आरक्षित वनभूमि में आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 104 से 105) – मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए धमतरी वनमंडल अंतर्गत आवेदित आरक्षित वन भूमि 37.973 हे. के एवज में मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र दिनांक 17.11.2022 को प्रदान किया गया है, जो प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 106)– आवेदक संस्थान द्वारा मांग की गई वनभूमि मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित है। प्रकरण मार्ग निर्माण से संबंधित होने के कारण प्रस्ताव में कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 107)– आवेदक संस्थान द्वारा मांग की गई वनभूमि मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित है। प्रकरण खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 108)– आवेदक संस्थान द्वारा मांग की गई वनभूमि मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित है। प्रकरण खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 109) – मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित क्षेत्र से किसी को विस्थापित नहीं किया जा रहा है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 110 से 122) – आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा भाग–1 पूर्ण कर प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 111 से 113 में संलग्न किया गया है। प्रस्तावित मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य में प्रभावित वनक्षेत्र का अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 11.05.2023 को निरीक्षण किया गया है। भौतिक निरीक्षण के आधार पर भाग – 2 एवं प्रपत्र – 3 पूर्ण कर इस वनमंडल अंतर्गत मगरलोड ब्लॉक एवं नगरी ब्लॉक के विभिन्न गांवों में आवागमन/परिवहन की सुगम व्यवस्था तथा जनहित में मार्ग उन्नयन उपयोगी होने की दृष्टि से प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा दिनांक 11.05.2023 को की गई है, जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 114 से 120 में संलग्न है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 123) – मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 124 से 132) – मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में आने वाले ग्रामों में मार्ग निर्माण हेतु ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 133) – धमतरी जिला में 205632.00 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि एवं 6922.00 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि कुल 212554.00 हेक्टेयर वनभूमि विद्यमान है।

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 134 से 135) – धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् कुल स्वीकृत 18 प्रकरणों में 588.207 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हुआ है। स्वीकृत प्रकरणों की सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 136) – धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल 01 प्रकरण में 25.147 हे. वन भूमि व्यपवर्तित किया गया है।

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 137) – मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित/प्रस्तावित नहीं है और ना ही अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 238 से 138) – आवेदक संस्थान द्वारा मांग की गई वनभूमि मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित है। प्रकरण खनन से संबंधित न होने के कारण 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों के चिन्हांकन की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 139 से 142) – मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधित कलेक्टर जिला धमतरी का दिनांक 10.10.2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 143 से 145) – मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य प्रकरण में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं हो रहा है। राजस्व वन भूमि प्रभावित न होने संबंधी कलेक्टर जिला धमतरी का दिनांक 10.10.2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 146) – मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु प्रभावित 37.973 हे. वनभूमि के एवज में आवेदक संस्थान द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन दिया गया है। वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 147) – मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु प्रभावित 37.973 हे. वनभूमि के स्वीकृति के एवज में भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तो के परिपालन में आवेदक संस्थान द्वारा कैम्पा खाता में समस्त राशि जमा करने का वचन दिया गया है। वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 148) – आवेदित वनक्षेत्र में सामान्यता उथली से मध्यम गहराई की मृदा है तथा मृदा का प्रकार सैंडी लोम है, जिसमें पेबल्स एवं ग्रेवल्स (छोटे बड़े पत्थर युक्त) है, जिसकी ऊर्वरा शक्ति न्यून है। तदाशय का आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 149) – मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु प्रभावित 37.973 हे. वनभूमि में किसी भी प्रकार का कार्य प्रारंभ न करने का आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 150) – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। चूंकि प्रस्तावित मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु प्रभावित वनक्षेत्र 37.973 हे. है। अतः इसकी आवश्यकता नहीं है। तदाशय का आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 151 से 153) – प्रस्तावित मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु प्रभावित वनक्षेत्र 37.973 हे. हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ) छ.ग. द्वारा प्रकरण का पंजीयन क्रमांक – FP/CG/ROAD/151953/2022 दिनांक 04.05.2022 को आबंटित किया गया है। प्रकरण के विरूद्ध आवेदक संस्थान से पंजीयन शुल्क रूपये 6000/– एवं प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 18000/– इस प्रकार कुल राशि रूपयें 24000/– की राशि बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट क्रमांक 496147 दिनांक 14.03.2022 से वसूल की जाकर उसे कोषालय में चालान क्रमांक 192657416/00034 दिनांक 12.05.2022 से जमा कर दिया गया है। चालान एवं बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 154) – मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु प्रभावित 37.973 हे. वनभूमि किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या संरक्षित क्षेत्र से नहीं गुजर रहा है। अतः इस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नही है। आवेदक संस्थान तथा वनमंडलाधिकारी का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 155) – मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु प्रभावित वनभूमि 37.973 हे. मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित है। प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण इसकी आवश्यकता नहीं है। तदाशय का आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 156 से 237)– आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आवेदक संस्थान द्वारा अतिरिक्त जानकारी के रूप में प्रस्तावित सड़क के लॉगिट्यूडनल सेक्शन एवं क्रॉस सेक्शन का नक्शा, व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का डी.जी.पी. एस. रिपोट (पृष्ठ क्र. 161 से 204) तथा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. रिपोट (पृष्ठ क्र. 205 से 237) प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। साथ ही इस कार्यालय द्वारा प्रस्तावित मार्ग के निर्माण में वर्ष 2006–07 में सड़क किनारे दुगली वन परिक्षेत्र के वनकक्ष में किया गया रतनजोत वृक्षारोपण में से 2226 रतनजोत का पौधा भी प्रभावित हो रहा है, जिसकी जानकारी प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 158 से 160 में संलग्न किया गया है। रतनजोत का पौधा ईमारती एवं जलाऊ हेतु उपयुक्त न होने के कारण इसे प्रकरण में प्रभावित 2498 वृक्षों की गणना में शामिल नहीं किया गया है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय, नई दिल्ली के वेबसाईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–2 एवं प्रपत्र–3 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 5 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–1. प्रस्ताव 5 प्रतियों में

2. टाईम लाईन

वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमंडल धमतरी

पृ.क्रमांक/मा.चि./ व.सं.अ./31/जी/2689 **धमतरी,दिनांकः** 11 **/05/2023**

प्रतिलिपिः– 01. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ0ग0 नवा रायपुर अटलनगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

02. कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। अभिलेख हेतु प्रस्ताव की 1 प्रति आपकी ओर प्रेषित है।

वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमंडल धमतरी

संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग– 2
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या :– CG-019/2022

1.	परियोजना / स्कीम का स्थान	मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य।
I	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ
II	जिला	धमतरी
III	वन मंडल	धमतरी वनमंडल
IV	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल	37.973 हे.
V	वन की वैधानिक स्थिति	आरक्षित वन
VI	हरियाली का घनत्व	0.4 से 0.6
VII	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के संबंध मं एफ. आर.एल.,एफ.एफ.आर.एल.–2 मी. परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाए ।	मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य में प्रकरण अंतर्गत मार्ग संरेखण के 16 मीटर ROW में कुल 2498 वृक्ष प्रभावित हो रहा है। वृक्षों की प्रजातिवार एवं गोलाईवार गणना प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 45 में संलग्न है।
VIII	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूक्षरण की संभावना कम है।
IX	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी.	वनेत्तर भूमि वन सीमा के अंदर हैं।
X	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान,वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व , हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर आदि का भाग नहीं हैं।
XI	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ / तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।	(see table below)
XII	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नही हैं।

XI:

वनस्पति का नाम		**प्राणीजात का नाम**	
दुलर्भ	संकटापन्न	दुलर्भ	संकटापन्न
चिरायता, सतावर, सफेद मुसली, काली मुसली, चरोटा, मगरलोठा, नागकेशर, विधारा, तेन्दु	भुई आंवला, मोलकांगनी, गुंजर, बायडिंग	भालू, चीतल, लोमड़ी,, लकड़बगघ्घा, कोटरी, शाही, काला तेन्दुआ, सालखपरी, पेंगालीन, कबरबीज्जू	तेन्दुआ

2.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 मे प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो, जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरो सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग पूर्व से निर्मित मार्ग है। उक्त मार्ग का आवेदक संस्थान के द्वारा उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य प्रस्तावित है, जिसके लिए आवेदक संस्थान द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत पंजीयन कराया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा मांग की गई प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है।
3.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है । (हाँ/नही) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारीयों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे है।	नहीं, प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा वनक्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।
4.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
I	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु महासमुंद जिले के महासमुंद वनमंडल अंतर्गत प्रकरण में प्रभावित वनभूमि 37.973 हे. के एवज में बिगडे वनों के सुधार के तहत 76.000 हे. वनभूमि का निम्नानुसार चयन किया गया हैः–

वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वैधानिक स्थिति	कक्ष क्रमांक	प्रस्तावित रकबा हे. में
महासमुंद	पिथौरा	आरक्षित वन	287	76.000

II	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।	संलग्न है।
III	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यनवयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	प्रकरण में प्रभावित वनभूमि 37.973 हे. के एवज में बिगडे वनों के सुधार के तहत 76.000 हे. वनभूमि का 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना वित्तीय वर्ष 2022–23 की दर राशि रूपये 8,78,787/– से तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।
IV	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	76.000 हेक्टेयर हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 की दर रू. 8,78,787/– के मान से स्थल विशेष सिंचिंत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि रूपये 6,67,67,380/– परिव्यय का आकलन किया गया है।
V	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र की वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र परिक्षेत्र पिथौरा, उप वनमंडलाधिकारी पिथौरा, वनमंडलाधिकारी महासमुंद द्वारा दिया गया है, जो वृक्षारोपण योजना के साथ संलग्न है।
5.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 1 (XI,XII), 2 और 3 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करे)	पेज नंबर 120 में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
6.	विभाग/जिला प्रोफाईल	
I	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	408193.000 हेक्टेयर
II	जिले का वनक्षेत्र	212554.000 हेक्टेयर
	आरक्षित वन	205632.000 हेक्टेयर
	संरक्षित वन	6922.000 हेक्टेयर

	असीमांकित वन	–
	योग :–	212554.000 हेक्टेयर
III	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।	18 प्रकरण रकबा 588.207 हेक्टेयर
IV	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	1223.442 हेक्टेयर
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।	निरंक
(ख)	वनेत्तर भूमि पर ।	89.044 हे0
V	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :–	
	क. वनभूमि पर	1134.398 हे0
	ख. वेनेत्तर भूमि पर	89.044 हे0
7.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	धमतरी जिले के इस वनमंडल अंतर्गत मगरलोड ब्लॉक एवं नगरी ब्लॉक के विभिन्न गांवों में आवागमन/परिवहन की सुगम व्यवस्था तथा जनहित में मार्ग उन्नयन उपयोगी होने के कारण प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

विश्वेश कुमार (भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमण्डल धमतरी

दिनांक : 11/05/2023
स्थान : धमतरी

निरीक्षण टीप दिनांक 11.05.2023

(भाग 2 के बिन्दु क्रमांक 5)

- प्रस्तावित परियोजना का नाम – मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य।
- परियोजना में प्रभावित वनभूमि – 37.973 हेक्टेयर
- पंजीयन क्रमांक/दिनांक – क्रमांक–FP/CG/ROAD/151953/2022
- परियोजना में प्रभावित स्थल का विवरण –

वन का प्रकार	रकबा (हे.)
आरक्षित वन	37.973
संरक्षित वन	0.000
राजस्व वन क्षेत्र	0.000
योग :–	37.973

- प्रस्तावित क्षेत्र का वन घनत्व – 0.4 से 0.6
- प्रस्तावित क्षेत्र वन की साईट क्वालिटी– III / IVA
- प्रस्तावित वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का विवरण –

  प्रकरण में प्रभावित वनभूमि 37.973 हे. के एवज में आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन का गैर वनभूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप बिगडे वनों के सुधार के तहत महासमुंद वनमंडल अंतर्गत पिथौरा वन परिक्षेत्र के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 287 में 76.000 हे. वनभूमि का चयन किया गया है। उक्त चयनित वनभूमि में 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना वित्तीय वर्ष 2022–23 की दर राशि रूपये 8,78,787/– से तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

- भाग 2 के कॉलम नं. 1 (XI, XII), 2 और 3 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए टीप–

धमतरी वनमंडल के उत्तर सिंगपुर, दक्षिण सिंगपुर, केरेगांव एवं दुगली वन परिक्षेत्र अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य (मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य) हेतु प्रस्तावित वनभूमि के आस –पास दुर्लभ, संकटापन्न प्रजाति के वनस्पति एवं प्राणिजात पाये जाते, जिसका विवरण पेज नं. 114 में है। प्रस्तावित स्थल में किसी प्रकार का पुरातत्वीय, पारंपरिक स्थल, रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक नहीं है। प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। प्रकरण में वनक्षेत्र अंतर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

विश्वेश कुमार (भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमण्डल धमतरी

प्रपत्र – 3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक / व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

<table>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">परियोजना का नाम</td><td colspan="4">मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">आवेदक / आवेदक विभाग का नाम</td><td colspan="4">कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग धमतरी, संभाग धमतरी, छत्तीसगढ़।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग</td><td colspan="4">मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4.</td><td rowspan="2">आवेदित क्षेत्र की स्थिति</td><td>जिला</td><td>वनमंडल</td><td colspan="3">परियोजना स्थल</td></tr>
<tr><td>धमतरी</td><td>धमतरी</td><td colspan="3">मगरलोड एवं नगरी ब्लॉक के अधीनस्थ उत्तर सिंगपुर, दक्षिण सिंगपुर, केरेगांव एवं दुगली वन परिक्षेत्र।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="6">वनभूमि का विस्तृत विवरण</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">क. संरक्षित वन</td><td colspan="4">निरंक</td></tr>
<tr><td rowspan="17"></td><td rowspan="17">ख. आरक्षित वन</td><td>क्र.</td><td>परिक्षेत्र का नाम</td><td>वनखंड / ग्राम का नाम</td><td>कक्ष क्र॰</td><td>रकबा हे. में</td></tr>
<tr><td>1</td><td rowspan="8">उत्तर सिंगपुर</td><td>एनआरएफ बेलोरा पार्ट</td><td>57</td><td>0.733</td></tr>
<tr><td>2</td><td>राजाडेरा</td><td>55</td><td>3.120</td></tr>
<tr><td>3</td><td>166 गोबरापठार गिलोराडीह</td><td>71</td><td>1.767</td></tr>
<tr><td>4</td><td>166 गोबरापठार गिलोराडीह</td><td>39</td><td>1.767</td></tr>
<tr><td>5</td><td>केंवराडीह</td><td>60</td><td>2.040</td></tr>
<tr><td>6</td><td>एन.आर.एफ. बेलोरा</td><td>58</td><td>0.733</td></tr>
<tr><td>7</td><td>केंवराडीह</td><td>61</td><td>1.080</td></tr>
<tr><td></td><td>योगः–</td><td></td><td>11.240</td></tr>
<tr><td>8</td><td rowspan="7">दक्षिण सिंगपुर</td><td>उत्तर सिंगपुर</td><td>74</td><td>0.955</td></tr>
<tr><td>9</td><td>सिंगपुर</td><td>78</td><td>3.297</td></tr>
<tr><td>10</td><td>177 उमरादाह आलसा</td><td>76</td><td>1.399</td></tr>
<tr><td>11</td><td>166 गोबरापठार गिलोराडीह</td><td>77</td><td>3.979</td></tr>
<tr><td>12</td><td>166 गोबरापठार गिलोराडीह</td><td>38</td><td>6.041</td></tr>
<tr><td>13</td><td>177 उमरादाह आलसा</td><td>87</td><td>0.259</td></tr>
<tr><td></td><td>योगः–</td><td></td><td>15.930</td></tr>
</table>

		14	केरेगांव	कुसुमखुंटा	63	0.881
		15		पश्चिम बिरझुली	64	0.596
		16		पारधी	69	1.527
				योगः–		**3.004**
		17	दुगली	उमरदरहा	254	1.564
		18		उमरदरहा	258	1.761
		19		उमरदरहा	258A & 266A	0.725
		20		उमरदरहा	259	1.457
		21		उमरदरहा	260	2.292
				योगः–		**7.799**
		कुल योगः–				**37.973**
	ग. आरेंज एरिया	**निरंक**				
	घ. राजस्व वन क्षेत्र	**निरंक**				
	महायोग :–					**37.973**

06.	आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	मिश्रित	
		साईट क्वालिटी III-IVA	
		घनत्व 0.4 से 0.6	
07.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	**प्रजाति**	**कुल वृक्षों की संख्या**
		सागौन	24
		साल	35
		बीजा,शीशम,तिलसा,खम्हार	31
		साजा,अर्जुन	212
		हन्दू,मुण्ड़ी,कसई	42
		अन्य	2154
		योगः–	**2498**
08.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरूत्पादन की स्थिति	सामान्य	
09.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्लू.डी./वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	उक्त प्रस्ताव मेघा–सिंगपुर–दुगली मुख्य मार्ग के अंतर्गत ही है, जिसका आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा मार्ग उन्नयन एवं चौडीकरण कार्य किया जाना है।	

<table>
<tr><td>10.</td><td>क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिर्जव, प्राकृतिक झील/वाटर, बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेंत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग कि॰मी॰ के अंतर्गत है अथवा नही ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।</td><td>आवेदित क्षेत्र की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत वाटर बाडी उपलब्ध विवरण निम्नानुसार है:–
वाटरबाडी का विवरण
<table>
<tr><th>क्र</th><th>नाम</th><th>जल भराव क्षमता (मि.घन.मी.)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>बेलोरा जलाशय
20°42'25.40"N, 81°49'38.80"E</td><td>2.830</td></tr>
<tr><td>2</td><td>बकोरी जलाशय
20°41'43.23"N, 81°51'34.25"E</td><td>3.550</td></tr>
<tr><td>3</td><td>राजाडेरा जलाशय
20°42'12.16"N, 81°54'27.94"E</td><td>7.431</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प के रूप, में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नही (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि॰मी॰ क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारापूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावें।)</td><td>मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग पूर्व से निर्मित मार्ग है। उक्त मार्ग का आवेदक संस्थान के द्वारा उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य प्रस्तावित है, जिसके लिए आवेदक संस्थान द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत पंजीयन कराया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा मांग की गई प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है तथा प्रस्तावित क्षेत्र के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है ।</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>आवेदति क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण देंवे।</td><td>नहीं, प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा वनक्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।</td></tr>
</table>

<u>प्रमाण – प्रत्र</u>

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई 37.973 हेक्टेयर वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन (मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य) हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल :– धमतरी जिला के धमतरी वनमण्डल क्षेत्र अंतर्गत उत्तर सिंगपुर, केरेगांव, दक्षिण सिंगपुर एवं दुगली वन परिक्षेत्र के आवेदित वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक 57,55,71,39,60,58,61,38,74,76,77,78,87,63, 64,69,254,258,259,260,258A&266A ।

विश्वेश कुमार (भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमण्डल धमतरी

दिनांक : 11/05/2023
स्थान : धमतरी